**प्र.सं. 09/2018 लक्ष्मण व अन्य बनाम सरकार**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 06.12.2024 | प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मडकोला, तहसील सागवाडा में आराजी नंबर 844 रकबा 26 बीघा 3 बिस्वा में से 5 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर वादीगण का कब्जा अपने पिता के समय से चला आ रहा है। वादी भूमिहीन कृषक है तथा उनके पिता के हिस्से में शामलाती खाते से 2 बीघा भूमि है। वादीगण के पिता की करीब 7 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है तथा वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। पॉचों भाईयों के मकानों के पट्टे राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क आवासीय भूखण्ड के पट्टे दिनांक 29.11.1975 को जारी किये गये, जिस पर वादीगण के मकान बने हुए हैं। उक्त आराजी बाबत् वादीगण के पिता के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही वर्ष 1987 में की गयी, जिसके विरूद्ध वादीगण के पिता ने जिला कलक्टर, डूंगरपुर के यहां अपील की जो निरस्त हो गयी। द्वितीय अपील राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा स्वीकार करते हुए प्रकरण रिमाण्ड किया, किन्तु उक्त आदेश के बाद प्रतिवादी द्वारा नियमन की कार्यवाही नहीं किये जाने से वाद प्रस्तुत किया गया, जिसे उपखण्ड अधिकारी सागवाडा ने दिनांक 18.05.2010 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण के कब्जे को नियमन योग्य नहीं मानते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया।<br><br>उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट ने राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जो राजस्व अपील अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रकरण पुनः साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.06.2018 से सर्वोच्च न्यायालय के जगमालसिंह बनाम सरकार प्रकरण के आधार पर चारागाह भूमि का आवंटन नियमन नहीं किये जाने के आधार पर वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गई है। | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:56:13 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लालसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए तथा लिखित बहस प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट भूमिहीन काश्तकार होकर विवादित आराजी नंबर 844 रकबा 26 बीघा 3 बिस्वा के 5 बीघा 7 बिस्वा पर कब्जा 40 वर्षो से भी अधिक समय से चला आ रहा है तथा कुंआ खोदकर फसल प्राप्त करते हैं एवं उनके मकान बने होकर निवास कर रहे हैं, जो गवाहों के बयानों से भी साबित है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। आप न्यायालय द्वारा दिनांक 21.03.2016 को अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि उक्त चारागाह की कुछ आराजी पर अपीलान्ट का नाजायज कब्जा सन् 1970 से चला आ रहा है, कितना कब्जा रहा है, व कितना नियमन योग्य है, आवेदन की क्या पात्रता है, इस बाबत जिला कलक्टर के निर्देश एवं पेश शुदा रेकार्ड से यह तथ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिर्फ इस आधार पर कि पैरोकार सरकार के कथनानुसार भूमि नगरपालिका सीमा के मास्टर प्लान में आती है, सही मान लिया है, जबकि पैरोकार सरकार द्वारा इस बाबत् कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर अपीलान्टगण का वाद डिक्री फरमया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान पैरोकार सरकार ने बताया कि विवादित भूमि चारागाह है, जिसका नियमन व आवंटन नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:56:13 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। राजस्व रेकार्ड एवं स्वयं अपीलान्ट/वादीगण की स्वीकारोक्ति अनुसार विवादित आराजी चारागाह भूमि होना सुस्पष्ट है। अपीलान्ट/वादीगण खसरा गिरदावरी एवं धारा 91 रा.का.अ. के नोटिस के आधार पर अपना पुराना कब्जा बताता है, किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जगमालसिंह बनाम सरकार के प्रकरण में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि चारागाह भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलान्ट/वादीगण का पुराना कब्जा प्रमाणित मानते हुए उसके प्रकरण को नियमन योग्य माना है, किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त प्रकरण जगमालसिंह बनाम सरकार का हवाला देते हुए चारागाह भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किये जाने के आधार पर अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 394/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2018 यथावती रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 06.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

**(कीर्ति राठौड़)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:56:13 IST
Reason: SelfAttested